न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2016

अनवान :

1. छोटुराम पुत्र विद्यादेवी पुत्री गंगाजल पत्नी सन्तलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. जयलाल पुत्र गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. गुड्डी पुत्री गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
4. बाधो पुत्री गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
5. शारदा पुत्री गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– असल प्रतिवादीगण

7. सरोज पुत्री विद्यादेवी जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
8. रामगोपाल पुत्र विद्यादेवी जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
9. पूनम पुत्री विद्यादेवी जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जाखल : **वादी**

वकील श्री तरूण मिश्रा : **प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 20.7.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अजीतपुरा के वर्तमान खाता सं0 435/448 के खसरा सं0 1136 की 3.339 है0 खसरा सं0 1427/988 की 0.506 है0 खसरा सं0 1429/989 की 0.569 है0 कुल किता 3 की 4.414 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है। उक्त खातेदारी पहले वादी के नाना गंगाजल पुत्र भोलुराम की खातेदारी हुआ करती थी। गंगाजल की दिनांक 20.10.1995 को मृत्यु हो गई थी तथा गंगाजल के देहान्त होने पर गंगाजल की उक्त खातेदारी वादी की माता विद्यादेवी, गंगाजल की पत्नि माली, रेस्पोडेन्ट मनीराम, जयलाल, गुड्डी, शारदा, पतासी, बाधो को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई तथा वादी की नानी माली का दिनांक 04.05.1999 को देहान्त हो गया जिस पर गंगाजल वाली कुल खातेदारी वादी की माता विद्यादेवी, प्रतिवादी मनीराम जयलाल, गुड्डी, शारदा, पतासी, बाधो को बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई थी।

प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने वादी की माता का उक्त वादभूमि में जो 1/7 हिस्सा खातेदारी बनता था को हड़प करने एंव पतासी का हिस्सा हड़प करने की गरज से

ग्राम पंचायत अजीतपुरा से एक फर्जी एवं कुटरचित वारिसनामा तैयार करवा लिया जिसमें विद्यादेवी एवं पतासी के अस्तित्व को छुपा कर गंगाजल की कुल खातेदारी को मनीराम, जयलाल, गुड्डी, बाधो व शारदा के नाम से प्रतिवादी सं0 6 तहसीलदार भादरा से प्रशासन गांव के संग अभियान में इन्तकाल सं0 1532 दिनांक 08.10.2004 को तस्दीक रजिस्टर करवा लिया तथा उसी दिन गुड्डी, बाधो व शारदा के द्वारा उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में दस्तबरदारी किये जाने का इन्तकाल सं0 1566 दिनांक 08.12.2004 तस्दीक रजिस्टर कर दिया गया जिस पर उक्त कुल भूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से दर्ज कर दी गई।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं0 7 ता 9 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में छोटूराम पुत्र विद्यादेवी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम अजीतपुरा प्रदर्श पी1, पी3, सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम अजीतपुरा खाता सं0 435/448 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श पी2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श पी4ए प्रदर्शित करवाये एवं चित्रप्रति दस्तबरदारी दिनांक 08.12.2004, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र माली व गंगाजल रेगर, वारिस प्रमाण पत्र गंगाजल पुत्र भोलुराम पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम अजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड मे अपने मामा जो कि दावा में प्रतिवादी पक्षकार है के नाम दर्ज भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में गंगाजल की खातेदारी में गंगाजल की मृत्यु के बाद वादी की माता विद्यादेवी, गंगाजल की पत्नि माली, प्रतिवादी मनीराम, जयलाल, गुड्डी, शारदा, पतासी, बाधो को बहिस्सा बराबर के अनुसार कृषि भूमि प्राप्त होने तथा वादी की नानी माली का दिनांक 04.05.1999 को देहान्त हो जाने के बाद गंगाजल वाली कुल खातेदारी वादी की माता विद्यादेवी, प्रतिवादी मनीराम जयलाल, गुड्डी, शारदा, पतासी, बाधो को बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा के अनुसार प्राप्त होना अंकित किया है। हमारे द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्रों व नामान्तरकरण रजिस्टर की प्रतियों, जमाबन्दी व दस्तबरदारी दिनांक 08.12.2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श पी4ए में सरंपच ग्राम पंचायत अजीतपुरा द्वारा गंगाजल के वारिसान में पांच पुत्रियां गुड्डी, शारदा, पतासी, बादो, विद्यादेवी व दो पुत्र जयलाल व मनीराम होने का उल्लेख किया गया है किन्तु चित्रप्रति प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम अजीतपुरा प्रदर्श पी1 के अनुसार नामान्तरकरण सं0 1532 में अधूरे वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर पतासी व विद्या देवी के बारे जानकारी न होने के कारण उक्त नामान्तरकरण में मात्र मनीराम, जयलाल, गुड्डी, शारदा, बाधो के नाम दर्ज कर इसी अनुसार जमाबन्दी में उनके नाम की प्रविष्टियां कर दी गई, जबकि पतासी व विद्यादेवी भी गंगाजल की खातेदारी में बराबर की हकदार थी। प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा पूर्व में ही जरिये दस्तबरदारी दिनांक 08.12.2004 के प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर चुकी है।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वादी के दावा का कोई खण्डन नहीं करते हुए अपने द्वारा प्रस्तुत इकबालदावों में वाद वादी स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने में सफल रहा है। वादभूमि का इंतकाल सं0 1532 दिनांक 08.12.2004 फर्जी व मिथ्या दस्तावेज के आधार पर किया गया था क्योंकि स्वयं प्रतिवादीगण 1 व 2 द्वारा अपने माता पिता के सात वारिसान होना स्वीकार किया है। जब वादभूमि में सात वारिस थे तो दो वारिसान का नाम छुपाकर शेष पांच वारिसान के नाम वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाकर इंतकाल खुलवाया व तस्दीक किया गया जो कि अशुद्ध कार्यवाही थी। नामान्तरकरण एक सरसरी प्रक्रिया है जिससे कोई अधिकार सृजित नहीं होते है, फिर जो नामान्तरकरण अशुद्ध व मिथ्या दस्तावेज पर आधारित है उससे तो किसी प्रकार का अधिकार सृजित नहीं हो सकता है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर प्राप्त हिस्सा का प्रतिवादिया सं0 3 ता 5 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में किया गया दस्तबरदारी विधिसम्मत नहीं है, क्योंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 को भी अपनी बहनों के अस्तित्व व हक हिस्सा का ज्ञान था, फिर भी उनके द्वारा अशुद्ध दस्तावेज द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में दस्तबरदारी द्वारा हक त्याग किया गया। वर्तमान में वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम पर है तथा उनके नाम दर्ज हक हिस्सा हीं वाद के फैसले से प्रभावित होना है उनके द्वारा अपने इकबाल दावा में गंगाजल व माली के सात वारिसान स्वीकार किऐ है जिसमें पतासी तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 7 ता 9 शामिल है, जब सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रारम्भ एक ऐसे वारिस प्रमाण पत्र से हुआ जो कि अशुद्ध दस्तावेज है तो उससे आगे की समस्त कार्यवाहिया नामान्तरकरण व दस्तबरदारी भी अशुद्ध है व इनसे उत्पन्न अधिकार वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 7 ता 9 तथा पतासी के हक हिस्सा तक निष्प्रभावी व बेअसर है। इंतकाल सं0 1532 दिनांक 08.12.2004, प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 द्वारा की गई दस्तबरदारिया, इंतकाल सं0 1566 दिनांक 08.12.2004 वादी, प्रतिवादी सं0 7 ता 9 व पतासी के हक हिस्सा तक निष्प्रभावी व बेअसर है। दावा में नवीन वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए पेश किया गया है जिसके आधार पर नवीन नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के वर्तमान खाता सं0 435/448 के खसरा सं0 1136 की 3.339 है0 खसरा सं0 1427/988 की 0.506 है0 खसरा सं0 1429/989 की 0.569 है0 कुल किता 3 की 4.414 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 व 2 के बजाय प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 व पतासी पुत्री गंगाजल 6/7 हिस्सा तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 7 ता 9, 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व में अमलदराम किया जावे। वादभूमि के सम्बन्ध में तस्दीक किये गये इन्तकाल सं0 1532 व 1566 को प्रभावहीन समझा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2016

अनवान :

1. छोटुराम पुत्र विद्यादेवी पुत्री गंगाजल पत्नी सन्तलाल जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा तहसील भादरा।

- वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
2. जयलाल पुत्र गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
3. गुड्डी पुत्री गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
4. बाधो पुत्री गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
5. शारदा पुत्री गंगाजल जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- असल प्रतिवादीगण

7. सरोज पुत्री विद्यादेवी जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
8. रामगोपाल पुत्र विद्यादेवी जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा।
9. पूनम पुत्री विद्यादेवी जाति रेगर निवासी वार्ड सं0 19 भादरा, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र जाखल एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री तरूण मिश्रा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अजीतपुरा के वर्तमान खाता सं0 435/448 के खसरा सं0 1136 की 3.339 है0 खसरा सं0 1427/988 की 0.506 है0 खसरा सं0 1429/989 की 0.569 है0 कुल किता 3 की 4.414 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 व 2 के बजाय प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 व पतासी पुत्री गंगाजल 6/7 हिस्सा तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 7 ता 9, 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व में अमलदराम किया जावे। वादभूमि के सम्बन्ध में तस्दीक किये गये इन्तकाल सं0 1532 व 1566 को प्रभावहीन समझा जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.7.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़ी)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़